न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 70/2021
GCMS NO. : 2021/102

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. उदाराम पुत्र भाना
2. कानाराम पुत्र भाना
3. किशन पुत्र भाना
4. दिनेश पुत्र भाना
5. प्रकाश पुत्र भाना
6. मदन पुत्र भाना
7. सीता पत्नी भाना

जातियान– रेगर, निवासीगण– ग्राम खेड़ा महाराजपुरा, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज.)

1. नाथूराम पुत्र गेपरराम कौम– रेगर, निवासी– ग्राम आसरलाई, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज०)

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी
तारीख रजू:–14.06.2021

उपस्थितः–
1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किसरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फूलमाल भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 204/2 रकबा 0–6475 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि वाके है उक्त कृषि भूमि पर सायलान एकमात्र रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि की चालू जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा की प्रमाणित फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जाने। उपर्युक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 204/2 सायलान को विरासत में प्राप्त हुई है जिसे अपने पूर्वजों के समय से उपयोग–उपभोग एवं काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि में सायलान का 30–35 वर्षो पुराना कुआं खुदा हुआ है जिस पर सायलान के पिता/पति भानाराम वल्द पेमाराम रेगर के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 1818/0172 व के० नम्बर 3[illegible]0461029636 है जिसके विद्युत बिल की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का एक भाग माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

जावे। सायलान अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में कुएं के पानी से फसल की सिंचाई करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि मय कुओं में सायलान के अलावा किसी अन्य का कोई हक अधिकार नहीं है मगर गैरसायल नाथुराम जबरदस्ती एवं बलपूर्वक सायलान की खातेदारी भूमि मय कुएं में अतिचार करने का प्रयास कर रहा है इस पर दिनांक 11/04/2021 को गैरसायल नाथुराम द्वारा सायलान की खातेदारी भूमि मय कुएं में पाईप लाईन डालकर कुएं में से गैरकान रूप से पानी की सिंचाई दक्षिणी दिशा में स्थित अन्य कृषि भूमि में करने लगा, इस पर सायलान ने गैरसायल को ऐसा अवैध कार्य करने से मना किया, तो गैरसायल ने गाली गलौच कर जबरदस्ती कुएं की भूमि पर अतिचार करने की धमकी दी, जबकि गैरसायल को ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है यदि गैरसायल द्वारा ऐसा किया गया तो सायलान उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देगा, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायलान को गैरसायल के विरूद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी, सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। इसलिए गैरसायल को सायलान की खातेदारी भूमि मय कुआं में अतिचार करने या अवैध तरीके से कुएं से पानी ले जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए सायलान गैरसायलगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त3 करने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलगण के पेश है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित है यदि गैरसायल जबरदस्ती बलपूर्वक अवैध व गैरकानूनी तरीके से सायलान की खातेदारी भूमि में कुएं में अतिचार करने व कुएं के पानी से जबरन अवैध तरीके से अन्य भूमियों में सिंचाई करने से अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी, इसलिए सायलान, गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फूलमाल भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नं. 204/2 रकबा 0-6475 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि वाके है जिस पर सायलान एकमात्र रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। सायलान अपने हक हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मय कुआं का उपयोग उपभोग करे व इसके मुतालिक कुल कार्य करे या करावे, इसमें गैरसायल स्वयं उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि दखलादांजी, बाधा [illegible] करें, ना ही कुएं से अवैध रूप से पानी की सिंचाई करें [illegible] गैरसायल मय नौकर चाकर, परिवारजन इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] बाद के अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे, व अन्य कोई सहायता सायलान [illegible]प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को रिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ओर से वकालतनामा पेश ज्या किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ने जवाब प्रार्थनापत्र स्तुतकर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित तथ्यों का तबाब इस प्रकार है कि खसरा संख्या 204/2 रकबा 0.6475 हैक्टयर जो मूल वसरा 204 का ही भाग है जो बाद बंट्वाडा होकर दर्ज हुआ है तथा इसी प्रकार वसरा नम्बर 204/2 बना है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित तथ्यो का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तथ्य झुठे अंकित किये है तथा उक्त कृषि भूमि मे कुंआ नही होकर वर्तमान स्थित मे कुआ 204/9 खसरा भूमि मे सिति है तथ कुआ भाना पुत्र पेमा मोहन पुत्र सुजा व बगदू पुत्र बींजा जातियान रेगर निवासी खेडा महाराजपुरा ने सरकारी योजना के तहत बतौर जीवनधारा योजना के राशि प्राप्त कर सामलाती खुदवाया था जो वर्तमान में बाद तरमीम के खसरा संख्या 204/9 मे स्थित है तथा वर्तमान मेविद्युत कनेक्शन भी गैरसायलान् संख्या 1 स्वयं के नाम खाता संख्या 1818/0263 के 320461035451 है विद्युत बिल साथ पेश है शेष कथन झूठे व असत्य लिखे होने से असवीकार है तथा वर्तमान में मौके पर गैरसायलान् ही कुओ का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे वर्णित तथ्यो का जवाब इस प्रकार है कि इस पद मे वर्णित तथ्य झूठे व असत्य केवल मात्र प्रार्थनापत्र करने की गरज से लिखे होने से अस्वीकार किये जाते है तथा मौके पर विवाद करने के कथन भी झूठे एवं असत्य अंकित किये है जबकि सायल ने दिनांक 05/06/2020 को प्रकरण संख्या 57/2020 पुलिस थाना जैतारण मे दर्ज करवाया जिसमे भी कुऐ के उपयोग उपभोग के कथन किये जिसे बाद अनुसंधान अदम वकू झुठा माना गया एवं कुए का उपयोग उपभोग एवं स्थित कुआ गैरसायलान् का होना ही बताया एवं उपयोग उपभाग भी गैरसायलान् द्वारा किया जाना बताया गया साथ ही कुए गैरसायलान् के कब्जे काश्त मेही है अतिचार करने के कथन झुठे एवं असत्य है तथामौके पर किसी प्रकार से दिनांक 11/04/2021 के लिखे कथन झुठे एवं असत्य लिखे है इसलिए सायल द्वारा गैरसायलान् के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। दिनांक 11/04/2021 को अवैध अतिचार करने एवं पाईपलाईन डालकर पानी ले जाने के एलानिया कथन करने के कथन झुठे एवं असत्य लिखे है जबकि गैरसायलान् को उक्त कुआ जरिये पंजीबद्ध बेचान खातेदारी भूमि के साथ ही आराजी मे स्थित मिला जिसका उपयोग उपभोग बिना किसी रोकटोक के गैरसायलान् ही करता चला आ रहा है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जवाब ... जबाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्य परिस्थितियो एवं दस्तावेजात ... उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल की बजाय गैरसायलान् के पक्ष मे प्रमाणित है यदि सायल द्वारा प्रस्तुत झूठे एवं कपोल कल्पित तथ्यो पर आधारित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...गान आदेश गैरसायलान् के विरूद्व पारित किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी ...यल की बजाय गैरसायलान् को होना सुनिश्चित है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र अस्थाई ...निषेधाज्ञा के तीनो घटक प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय ...क्षति तीनो ही बिना सायल के बजाय गैरसायलान् के पक्ष मे प्रमाणित होने से ...सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम दृष्टया मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खोड़ा महाराजपुरा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 204/2 रकबा 0.6475 हेक्टर के प्रार्थीगण एकमात्र अभिलिखित काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें 30-35 वर्षो पुराना कुआं खुदा हुआ है जिसका प्रार्थीगण के पिता/पति भानाराम वल्द पेमाराम रेगर के नाम से बिजली कनेक्शन लिया हुआ है। उक्त भूमि एवं इसमें स्थित कुएं के पानी के उपयोग उपभोग के संदर्भ में प्रार्थीगण के अलावा किसी अन्य को कोई अधिकार नही है। लेकिन अप्रार्थी नाथुराम बलपूर्वक पाईपलाईन डालकर उक्त कुएं में से गैरकानूनी रूप से पानी की सिंचाई करने लग गया, जिसे रोका जाना आवश्यक है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 204 ही है जो बाद बंटवाड़ा दर्ज हुआ है। प्रश्नगत कुआं खसरा संख्या 204/9 की भूमि में स्थित है। जिसे जीवनधारा योजना के तहत भाना पुत्र पेमा, मोहन पुत्र सुजा व बगदू पुत्र बींजा रेगर में सरकारी सहायता से शामलाती खुदवाया था। जिसका विद्युत कनेक्शन गैरसायल संख्या 01 के नाम जारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित नही है।

चूंकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 204 है जिसके बंटवाड़े उपरान्त अन्य खसरा संख्या दर्ज हुए है तथा प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि कुआं खसरा संख्या 204 की आराजी के बंटवाड़े के बाद खुदवाया गया या पहले से ही स्थित था। प्रार्थीगण यह भी स्पष्ट नही कर पाये है कि प्रश्नगत कुआं वर्तमान [illegible] में किस स्थान पर स्थित है। उभयपक्ष द्वारा बिजली बिल की [illegible] जिससे यह स्पष्ट नही होता कि उक्त बिजली बिल एवं [illegible] वस्तुतः किस कुएं एवं नलकुप के है। अतः यह बिन्दू भली भांति साबित नही [illegible] से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही बिन्दू संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे है कि प्रश्नगत कुआं मूल खसरा संख्या 204 की आराजी के विभाजन के पश्चात खुदवाया गया है या पहले से ही था। प्रार्थीगण यह स्पष्ट नही कर पाए है कि प्रश्नगत कुएं के संबंध में सुविधा का संतुलन किस प्रकार केवल उनके ही पक्ष में निहित है तथा उन्हे किस प्रकार अपूर्णीय क्षति संभव हो सकती है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:46 IST
Reason: SelfAttested